संख्या-25/2023/001-371-2345159/2023-12-5002(099)/6/2022

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत संचालित जैविक खेती कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/पी0के0वी0वाई0/498/2022-23, दिनांक 09.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के.60/रा.40-के.) योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 1106.04 लाख के सापेक्ष भारत सरकार से **अवमुक्त केन्द्रांश रु0 174.2912 लाख (रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार एक सौ बीस मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 28.02.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद/कार्यों में व्यय की जायेगी।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।
5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विभाग का उत्तरदायित्व होगा।
6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402007890104 (नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के 60+रा 40/के))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2402007890104 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के 60+रा 40/के)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,88,000 (रुपये एक लाख अट्ठासी हजार मात्र)
2	083	2402007890104 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के 60+रा 40/के)	27 सब्सिडी	1,17,98,120 (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अट्ठानबे हजार एक सौ बीस मात्र)
3	083	2402007890104 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के 60+रा 40/के)	42 अन्य व्यय	42,91,000 (रुपये बयालीस लाख इक्यानबे हजार मात्र)
4	083	2402007890104 नेशनल मिशन फॉर सस्सटेनेबिल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (के 60+रा	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	11,52,000 (रुपये ग्यारह लाख बावन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		40/के)		
	कुल			**1,74,29,120** **(रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार एक सौ बीस मात्र)**
महायोग				1,74,29,120 (रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार एक सौ बीस मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- ई-1-511-दस-2022-23 दिनांक: 16-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

संख्या-25/2023/ 001-371-2345159/2023-12-5002(099)/6/2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्ति नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
8. अपर कृषि निदेशक, (सामान्यि/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
9. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।